कार्यालय नगर पालिक निगम , रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक /2822/रा.वि./नपानि/2024 रायगढ़ दिनॉक 15.3.2024

।। मंगल भवन ऑफर दर आमंत्रण सूचना ।।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ अधिनस्थ निम्नंकित मंगल भवनों को संचालन किये जाने हेतु आगामी **01 वर्षो** के लिये ठेका पर दिये जाने हेतु वार्ड/मोहल्ले के स्व–सहायता समूह/व्यक्ति से ऑफर दर आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक स्व–सहायता समूह/व्यक्ति दिनांक 12.4.2024 समय 5:00 बजे तक अपना ऑफर दर दो लिफाफा पद्धति अनुसार पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से बंद लिफाफा में निर्धारित अमानत राशि के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त ऑफर दिनांक 15.4.2024 को समय 4:00 बजे ऑफरदाताओं के समक्ष दर खोली जाएगी। ऑफर प्रपत्र कार्यालयीन समयावधि में इस कार्यालय से दिनांक 10.4.2024 तक शुल्क राशि रूपये 500.00 (पॉच सौ रु.) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

मंगल भवनों एवं ऑफर दर का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	मंगल भवनों का नाम	निर्धारित ऑफसेट प्राईज वार्षिक	अमानत राशि
1	केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड, मंगल भवन	1,00,000/– रू.	25,000/– रू.
2	गौशालापारा वेयर हॉउस, मंगल भवन	40,000/– रू.	10,000/– रू.

टीप:–

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किया जावेगा।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ निर्धारित अमानत का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा, इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
4. अन्य नियम एवं शर्तें ऑफर प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन एवं डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /2822/रा.वि./नपानि/2024 रायगढ़ दिनॉक 15.3.2024

प्रतिलिपि:–

1. मान.महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/राजस्व प्रभारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. सहा.जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ।
5. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
7. वेब साईट में अपलोड हेतु।
8. संपादक .... को सूचनार्थ। कृप्या उक्त ऑफर सूचना का प्रकाशन दो कॉलम ....स्पेस में किया जाकर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित प्रेषित करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

।। मंगल भवन/सामुदायिक भवन संचालन हेतु ठेका पर दिये जाने की नियम एवं शर्तें ।।

1. ठेके की अवधि स्वीकृति दिनांक से 01 वर्षो के लिये होगी।
2. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किये जावेगें।
3. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ निर्धारित अमानत का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. केवड़ाबाड़ी मंगल भवन का किराया प्रति दिवस 7,000/– रू. (सात हजार रूपये) आवेदक से लिया जाना होगा।
5. गौशालापारा वेयर हॉउस का किराया का प्रति दिवस 2,100/– रू. (दो हजार एक सौ रूपये) आवेदक से लिया जाना होगा।
6. ऑफर में प्राप्त उच्चतम दर की स्वीकृति किया जावेगा स्वीकृत राशि वार्षिक ऑफसेट प्राईज मानी जावेगी।
7. अमानत राशि ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि कोई किराया शेष है तो उसमें समायोजन कर लिया जावेगा शेष नहीं होने पर राशि वापस कर दिया जावेगा।
8. ऑफर दर स्पष्ट रूप से हो, अस्पष्ट एवं कांट–छांट दर स्वीकार नहीं होगा।
9. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा।
10. ऑफर प्रपत्र में किसी प्रकार का शर्त उल्लेख करने पर ऑफर स्वीकार योग्य नही होगा।
11. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा ऑफर आमंत्रण सूचना में दर्शित निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा अन्यथा ऑफर प्रथमतः निरस्त माना जावेगा।
12. प्रथम ऑफरदाता का अमानत राशि रोक कर शेष ऑफरदाताओं का डी.डी. वापिस किया जावेगा।
13. स्वीकृत ठेका अन्य नाम से हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।
14. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता का राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय ऑफरदाता की अमानत राशि वापिस की जावेगी।
15. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना होगा। स्वीकृत दर का 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
16. ऑफरदाता को 25 प्रतिशत राशि जमा करने पश्चात शेष 75 प्रतिशत राशि तीन–तीन महिनों के अन्तराल में जमा करना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।
17. ऑफर दर समान होने की स्थिति में लॉटरी पद्धति से ऑफर दर स्वीकृति की कार्यवाही किया जावेगा।
18. उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर समक्ष नोटरी से सत्यापित कर कार्यालय में जमा करना होगा।
19. केन्द्र एवं राज्य शासन (शासकीय) के विभिन्न विभाग उपक्रम को उक्त भवन की आवश्यकता एवं मांग होने पर भवन के रख–रखाव व्यय के रूप में पचास प्रतिशत राशि प्रति दिवस के आधार पर आयुक्त के अनुशंसा पर उपलब्ध कराना होगा।

क्रमशः 02

CamScanner

20. ठेकेदार को मंगल भवन/सामुदायिक भवन में कार्यक्रम करने वालों के वाहनों सायकल, स्कूटर एवं कार आदि की उचित पार्किंग व्यवस्था निर्धारित पार्किंग स्थल पर स्वयं के व्यय पर करना होगा पार्किंग व्यवस्था ऐसी की जावेगी जिससे मार्ग में यातायात बाधित न हो निर्धारित पार्किंग शुल्क की राशि ठेकेदार की होगी।
21. ठेकेदार निगम द्वारा जल के भूमिगत स्थापित स्त्रोतों का उपयोग कर सकेगा तथा उन्हें संधारित करेगा साथ ही यदि जल आपूर्ति संयंत्र से जल आपूर्ति की जाती है तो उपयोग अनुसार प्रभार शुल्क पृथक से देया होगा।
22. ठेकेदार द्वारा भवन के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्नि शामक यंत्रों एवं किसी दुर्घटना से बचाव के उपाय सुनिश्चित करेगा।
23. निगम आयुक्त एवं इसके लिये आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी समय भवन का निरिक्षण कर सकेंगे। ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी निरीक्षण में सहयोग करेंगे एवं इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे।
24. ठेकेदार को भवन परिसर से निकलने वाले अवशिष्ठ निस्तारण हेतु निगम एजेंसी के निर्धारित उपभोकता प्रभार (यूजर चार्ज) शुल्क निगम को देना होगा।
25. भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई, साफ–सफाई ठेकेदार को स्वयं करना होगा, ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह बिजली बिल का भुगतान रसीद की छायाप्रति निगम कार्यालय में जमा करना होगा।
26. भवन में अश्लील एवं उत्तेजक विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित होगा।
27. भवन में किसी प्रकार का स्वरुप में परिवर्तन आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
28. ठेका समाप्ति पश्चात भवन पूर्व की स्थिति में समस्त सामग्री सहित नगर निगम को सौंपना होगा भवन में किसी प्रकार की क्षति या सामाग्री नष्ट होने पर ठेकेदार भरपाई का जिम्मेदार होगा।
29. ठेकेदार/स्व–सहायता समूह, निगम द्वारा निर्धारित प्रति दिवस की दर से अधिक दर नहीं लिया जावेगा।
30. ठेका प्राप्त करने के लिये वार्ड/मोहल्ले के स्व–सहायता समूह का दर प्राप्त नहीं होने पर पंजीकृत ठेकेदार का निविदा स्वीकार किया जावेगा।
31. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निगम आयुक्त को अधिकार होगा की अमानत राशि राजसात करने हुये आबंटन निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा।
32. किसी प्रकार विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

CamScanner